बनवारीलाल – शैतानाराम प्र.सं. 23/08

दिनांक	आज्ञा पत्र	
20.3.18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । बहस पर मनन किया गया । वकील अपीलान्ट ने जाहिर किया कि विवादित आराजी खoनंo 6 7, 9, 10, 11, 5, 8, 119 से 122; 124 से 127 कुल किता-15 रकबा 15.59 हैक्टर ग्राम गोरधनपुरा जिसके पुराने खoनंo 2, 2/421, 73 व 74 रकबा 62 बीघा 13 बिस्वा थे । इस आराजी में 1/4 हिस्से की भूमि बैंक में रहन किये जाने पर बैंक ने इस भूमि की सार्वजनिक बोली लगाई जिसमें अधिकतम बोली अपीलान्ट द्वारा लगाई जाकर छुडाई गई । जिसमें 17000/-रूपये जमा कर उक्त आराजी काब्जा ले लिया किन्तु राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का नाम रह जाने से वह इस आराजी को पुनः रहन रखकर प्रार्थी/अपीलान्ट को बेदखल करने पर आमादा है जिसका इसे कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जावे। अदालत मातहत ने मेरा प्रार्थना पत्र विधि के विरूद्व खारिज किया है ।अपील स्वीकार की जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । विद्वान ~~0000~~ वकील अपीलान्ट की बहस का	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

जवाब पेश करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट स्वर्ण जाति(अन्य पिछडा वर्ग) का सदस्य है तथा रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जन जाति का सदस्य है जिसकी भूमि किसी भी स्थिति में अपीलान्ट को नहीं दी जा सकती। इस भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है। अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । अपील खारित की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट स्वर्ण जाति(अन्य पिछड़ा वर्ग) का सदस्य है तथा रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।अनुसूचित जन जाति के सदस्य की भूमि उच्च जाति के सदस्य को नहीं दी जा सकती जैसा राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा-42(ख) में स्पष्ट किया गया है। राजस्व रेकार्ड में सम्वत 2061 से 2064 में रेस्पोडेन्ट सं0-1 विवादित आराजी का 1/4 हिस्से का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है ।अपीलान्ट का विवादित आराजी पर न तो कब्जा प्रमाणित है और न ही रेकार्ड में अपीलान्ट दर्ज है। अदालत मातहत ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र विवादित आराजी पर कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं होने पर खारिज किया है। अदालत मातहत के इस निर्णय में किसी प्रकार की कानूनी भूल नहीं है ।जिससे अदालत मातहत के निर्णय में कोई हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 15-9-2007 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय सुनाया गया ।

(भंवरलाल [illegible])
पूर्णकालिक अपील अधिकारी
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर